न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 38/2020
3. उनवान : सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना बगरु

बनाम

1. श्री हेमराज गुर्जर रामू निवासी खरवाड पीएस फागी जिला जयपुर।
2. श्री बलबीर सिंह पुत्र समुद्र सिंह निवासी छापडी पीएस चितावा जिला नागौर।
3. श्री रामदेव जाखड राशन डीलर ग्राम कंसेल तह. फागी।

4. निर्णय दिनांक : 18.04.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री रामगोपाल अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना बगरु, जिला जयपुर ग्रामीण श्री द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 19.09.2007 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने देवशक्ति धर्मकांटा रिको रोड बगरु पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से पिकअप गाडी नं. आरजे14–1जी–9183 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भारतीय खाद्य निगम के 60 कट्टे गेहूं कुल वजन 25.11 क्वि0 के अवैध रुप से परिवहन एवं कब्जे में रखने पर मय पिकअप जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 27.08.2008 को अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामगोपाल जी ने उपस्थिति दी। दिनांक 20.07.2009 को श्री सोभागमल ने उक्त जब्त गेहूं स्वयं का बताया जो कि उसे अन्त्योदय योजना के तहत जिला कलक्टर द्वारा काम करने वाले श्रमिकों को काम के बदले अनाज योजना हेतू कूपन जारी किये जाते है, जिसके तहत उक्त माल उसके अधीन कार्य किये गये श्रमिकों का था जो उसके द्वारा श्रमिकों को सुर्पुद करने हेतु राशन डीलर रामदेव के यहां से वाहन में आ रहा था। श्री सोभागमल ने उक्त गेहूं को उसे सुपुर्द करने का निवेदन किया। प्रकरण में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस.पी.ई. कैसेज, जयपुर में अप्रार्थीगण को अपराध अन्तर्गत धारा 3 सपठित धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोपित अपराध से साक्ष्य के अभाव में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 11.04.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 19.09.2007 को अप्रार्थीगण से कालाबाजारी की नीयत से ले जाये जा रहे सार्वजनिक वितरण के गेहूं को जब्त किया गया। मौके पर पूछताछ में ट्रक ड्राइवर हेमराज व श्री बलवीर ने बताया कि माल खाद्य निगम का है जो ग्राम कंसेल के राशन डीलर श्री रामदेव जाखड एवं उसके भाई बनवारी से लेकर आया बताया। उक्त व्यक्ति बिना किसी लाईसेंस व बिल्टी के खाद्य निगम के गेहूं अवैध रुप से परिवहन व भण्डारण करते पाये गये। पूछताछ में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा उक्त गेहूं अप्रार्थी संख्या 3(राशन डीलर) का बताया गया परन्तु राशन डीलर द्वारा स्वयं के गेहूं को भी सुपुर्द करने के लिये कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करना संदेहास्पद है। प्रकरण में जब्त पिकअप के संबंध में भी किसी व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं किया गया। श्री सोभागमल ने उक्त जब्त गेहूं स्वयं का बताया परन्तु उससे संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे यह मालूम हो कि यह गेहूं राशन डीलर से उन्हें सुपुर्द होने के लिये जा रहा था। अतः अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त 60 कट्टे गेहूं कुल वजन 25.11 क्वि0 व पिकअप गाडी नं. आरजे14–1जी–9183 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।